क्षेत्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका

(उ.प्र. राज्य के बागपत जनपद के सन्दर्भ में अध्ययन)

प्रमोद कुमार
शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
गजरौला, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

डॉ॰ नसीम अहमद
(एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग)
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
गजरौला, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

जीवन को सुसंस्कारित एवं विवेकशील बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा ज्ञान और प्रकाश के तर्क और बौद्धिक विकास के वातायन खोलती है। शिक्षा मानव जीवन का सबसे आवश्यक संस्कार, सामाजिक परिवर्तन का आधर और आर्थिक उन्नति का एक सशक्त साधन है। यह हमें मनुष्यता, सहिष्णुता, नैतिकता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाती है– एक नया, उन्नत और योग्य मनुष्य बनाती है। आधुनिक समय में देश के विकास के सोपान को पूर्ण विकसित बनने का लक्ष्य तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि देश के सभी नागरिक साक्षर नहीं हो जाते। इस तथ्य का ज्ञान राष्ट्र निर्माताओं को था। तभी तो संविधन की रचना करते समय उन्होंने राज्य के नीति– निर्देशक सिद्धान्तों में सब के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के दस वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा। किन्तु यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। यह उतना आसान भी नहीं था। नव स्वतन्त्र राष्ट्र के सम्मुख स्थितियाँ विषम थी और संसाधन थे कम। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में अद्यतन किया गया जिसके अन्तर्गत इसे और अधिक जनोन्मुखी और व्यवहारपरक बनाने का प्रयास किया गया ताकि अधिकाधिक लोगों को शिक्षित किया जा सके और उन्हें विकास के पथ पर आगे लाया जा सकें।

शिक्षा ही वह संस्कार है जो मानव की भिन्नता के आधर पर योग्य बनाती है। महात्मा गाँधी के अनुसार, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे या प्रौढ़ के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा द्वारा इन गुणों तथा योग्यता को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधन की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से अग्राकित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति–निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया फराज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

आजादी के पश्चात् 1948 में शिक्षा को सही दिशा देने के लिए पहला शिक्षा आयोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में गठित किया गया। इसके बाद सी.ए.बी.ए. शिक्षा समिति (1949), लक्ष्मण स्वामी मुरलीधरन शिक्षा आयोग (1952), रामचन्द्रन शिक्षा समिति (1956), बुनियादी शिक्षा समिति (1957), दुर्गाबाई देशमुख शिक्षा समिति (1958), हंसा मेहता शिक्षा समिति (1962–64), भक्त वत्सल शिक्षा समिति (1963), कोठारी शिक्षा आयोग (1964– 66) पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), चट्टोपाध्याय आयोग (1985), दूसरी शिक्षा नीति (1986), आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति (1990), जर्नादन रेड्डी शिक्षा समिति (1992), प्रो.यशपाल शिक्षा समिति (1993) जैसे अनेकों शिक्षा आयोगों/समितियों का गठन किया गया। इनके द्वारा की गई संस्तुतियों की रिपोर्ट लागू भी नहीं की गई कि दूसरे का गठन कर दिया गया। यह सिलसिला चलता गया और सभी रिर्पोटो को लागू करने की दिशा में शिथिलता बरती गई। इसके अनुसार समाज में समता और न्याय की भावना को फैलाने के लिए इस प्रणाली को अपनाया जाना जरुरी है। समान गुणवत्ता वाली शिक्षा देने से विकास की संभावनाओं का लाभ उठाने का मौका सभी को मिल सकेगा। आयोग का मानना था कि इससे सामाजिक जुड़ाव, राष्ट्रीय एकता और विकास की राह खुलेगी लेकिन आयोग की सिफारिश नहीं मानी गई। पूंजी प्रधन चलने वाले

प्राइवेट और विशिष्ट वर्गीय शिक्षा केन्द्रों को बंद नहीं किया गया। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की जगह धीरे–धीरे अंग्रेजी की प्रधानता को बढ़ाया गया। सामाजिक मूल्य कौशल और विकास में शिक्षा की भूमिका को नकारा गया है।

बागपत जनपद के क्षेत्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन किया गया है। सरकार द्वारा शिक्षा हर वर्ग के लिए आवश्यक रूप से लागू की गई है लेकिन वास्तविक रूप में इससे बहुत बड़ा वर्ग अप्रभावित है। इस वर्ग में बालकों की तुलना में बालिकाओं का अनुपात अधिक है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित तभी होता है जब उसने कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्राप्त की हो। किसी भी क्षेत्रा का विकास तभी हो सकता है जब उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों ने शिक्षा प्राप्त की हो। किसी भी क्षेत्रा का विकास वहाँ के शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा विकास के सभी स्तरों के लिए आवश्यक है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश मे अनेकों योजनाऐं चल रही हैं– सर्व शिक्षा अभियान, मिड–डे मील, छात्रावृत्ति, पुस्तकों और यूनिफार्म का निःशुल्क वितरण सभी जाति के बच्चों के लिए किया जा रहा है लेकिन इसके आशानुरुप परिणाम नहीं आ रहे हैं। जैसे कि उच्च शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छोटे एवं बड़े प्राजेक्ट देता है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रा में इस प्रकार की सरकार की कोई नीति नहीं है। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है क्योंकि हम इस शिक्षा के द्वारा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए बच्चे तैयार करते हैं। यदि इसी स्तर पर बच्चों की कमी होगी तो आगे की शिक्षा भी धीरे–धीरे दम तोड़ जायेगी।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रा में यह तथ्य सही रूप से लागू होता है कि इसका विकास बागपत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में अधिक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनेकों अनियमिततायें हैं। बागपत जनपद में 6 विकासखण्ड क्रमशः छपरौली, बड़ौत, बागपत, पिलाना, खेकड़ा एवं बिनौली है। विकासखण्ड स्तर पर भी प्राथमिक शिक्षा में अनेकों अनियमिततायें हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा का वह प्रकार है जो बच्चे को उच्च शिक्षा से पूर्व दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ती है।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे देश में अनेकों योजनाऐं चल रहीं हैं। कन्या विद्या धन, छात्रावृत्ति, साईकिल वितरण आदि। कन्या विद्या धन योजना सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में चलाई गई योजना है जिसके आशानुरूप परिणाम न आने के कारण बन्द कर दी गई। लेकिन वर्तमान सरकार में यह योजना पुनः चालू कर दी गई है। निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है किन्तु ये छात्रवृत्तियाँ जमीनी हकीकत को कितना बदल पाती है, यह शोध का विषय है।

अध्ययन क्षेत्र जनपद बागपत में कुल 3 तहसीलें (बड़ौत, बागपत व खेकड़ा), 6 विकासखण्ड (छपरौली, बड़ौत, बागपत, पिलाना, खेकड़ा तथा बिनौली), 46 न्याय पंचायतें, 237 ग्राम पंचायते तथा 290 आबाद गाँव व 25 गैर आबाद गाँव स्थित हैं।[1] 2011 की जगणनानुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1303048 है।[2] क्षेत्र में प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 861 है। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्र की कुल साक्षरता दर 72. 01% है। जिसमें पुरुष साक्षरता 82.45% तथा महिला साक्षरता दर 59.95% है।[3]

शिक्षा का अध्ययन यदि इतिहास की आँखों से किया जाये तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की दिशा मिल सकती है। हमारी दृष्टि शैक्षिक अध्ययन करते समय वस्तुनिष्ठ होनी चाहिये। इतिहास का परिप्रेक्ष्य शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है। शिक्षा के विकास, शिक्षा के वंशक्रम और शिक्षा की संस्कृति का अध्ययन विचार के नये द्वार खोलता है।

भारत ने स्वाधीनता की वायु में सॉस ली और स्वाधीनता सुरभि के साथ–साथ अनेक समस्याओं का दिग्दर्शन भी आरम्भ हो गया। स्वाधिनता के प्रथम पाँच वर्ष तो समस्याओं के ही वर्ष थे। पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के ही वर्ष थे। पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्या विकट थी। देश में ब्रिटिश सरकार द्वारा छोड़ी गई परम्परायें ही थीं, जिनके आधर पर देश की शिक्षा की गाड़ी परम्परायें ही थीं, जिनके आधर पर देश की शिक्षा की गाड़ी चलाई गई। देश की भावी शिक्षा का क्या रूप हो, यह स्पष्ट नहीं था।

1947 ई० में भारत में स्वतन्त्रता सरकार ने देश का दायित्व संभाला। इस समय केन्द्र का शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के रूप में गठित किया गया। राज्य सरकारों को शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा के समन्वय, प्रगति, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा आदि केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में लिये। शिक्षा मन्त्री, राज्य मन्त्रियों तथा शिक्षा सचिवों के माध्यम से शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया जाता है।

संविधान (1950) के लागू होने पर शिक्षा राज्य का विषय बना दिया गया। इस समय केन्द्र में शिक्षा का संगठन इस प्रकार था– केन्द्र स्तर पर कतिपय शैक्षिक कार्यों के लिये शिक्षा मन्त्रालय की स्थापना तथा तथा शिक्षा मन्त्री के अधीन राज्य शिक्षा मन्त्री, सचिव, उपसचिव, सहायक सचिव आदि। इस समय शिक्षा मंत्रालय तथा युवा कल्याण राष्ट्र के शैक्षिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं।

भारत में इस समय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें, महाविद्यालय, हायर सेकेण्ड्री स्कूल तथा प्राथमिक विद्यालय है। सेण्ट्रल स्कूल तथा प्राथमिक विद्यालय है। सेण्ट्रल एडवायजरी बोर्ड आफ एजुकेशन (1921) अपना कार्य आज भी कर रहा है। इस समय केन्द्र, राज्य, स्थानीय निकाय तथा व्यक्तिगत साहस के द्वारा शिक्षण संस्थायें संचालित की जाती हैं। संविधान की 45वीं धरा के अनुसार भारत में 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य हो ऐसी व्यवस्था विधन में की है लेकिन यह उद्देश्य विद्यालयों के अभाव में पूरा नहीं हो सकता।

नगर में जनसंख्या के अनुपात में विद्यालय नहीं होते हैं। ये विद्यालय आमतौर पर किसी राजनैतिक कारण से एक ही स्थान पर खोल दिये जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जिन इलाकों में दो या तीन विद्यालय चाहिये। वहाँ तो एक विद्यालय मिलता है और जहाँ एक ही विद्यालय की आवश्यकता है वहाँ दो या तीन विद्यालय मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की दशा नगरों की अपेक्षा काफी गिरी हुई है जबकि हम यह मानकर चलते हैं कि ग्राम का पुनर्निमाण शिक्षा से ही सम्भव है। अतः ग्राम के विद्यालयों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि हर विद्यार्थी को उसके घर से एक मील के अन्दर विद्यालय मिल जाये। इसी प्रकार माध्यमिक व स्नातक, स्नातकोत्तर व तकनीकी कालेजों की समस्या है। ये शैक्षिक संस्था ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय केन्द्रों के अधिक होते हैं, जिसके कारण ग्रामीण बालक नगर केन्द्रों की ओर रुख करते हैं। विद्यालयों व सुविधाओं के अभाव के कारण कुछ बालक बीच में ही पढ़ाई छोड देते हैं, जिसके कारण वे पिछड़ जाते हैं।

सारिणी संख्या–1

बागपत जनपद : विकासखण्डवार शैक्षिक पार्श्वविका की संख्या (2012–13)

क्र.सं.	विकासखण्ड	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	स्नातक महाविद्यालय	स्नातकोत्तर	औद्योगिक महाविद्यालय प्रशिक्षण संख्या
1.	छपरौली	168	44	15	1	0	01
2.	बड़ौत	164	51	19	0	0	02
3.	बागपत	145	24	20	1	0	01
4.	पिलाना	160	40	17	1	8	0
5.	खेकड़ा	153	62	20	1	0	0
6.	बिनौली	156	55	21	1	0	0
	योग ग्रामीण	886	276	112	05	0	04
	योग नगरीय	79	31	23	04	03	03
	योग जनपद	965	307	135	09	03	07

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बागपत, 2013.

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि जनपद बागपत में कुल प्राथमिक विद्यालय 965 हैं जिसमें 886 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 79 नगरीय क्षेत्रा में हैं। विकासखण्डवार सर्वाधिक प्राथमिक विद्यालय 164 बड़ौत विकासखण्ड में जबकि सबसे कम 145 बागपत विकासखण्ड मे है।

क्षेत्रा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 307 है जिसमें 276 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 31 नगरीय क्षेत्र में हैं। विकासखण्डवार सर्वाधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय 62 खेकड़ा विकासखझउ में जबकि सबसे कम 24 बागपत विकासखण्ड में है। अध्ययन क्षेत्रा जनपद बागपत में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 135 हैं जिसके 112 ग्रामीण क्षेत्रा में एवं 23 नगरीय क्षेत्रा में हैं। विकासखण्डवार सर्वाधिक माध्यमिक विद्यालय 21 बिनौली विकासखण्ड में जबकि सबसे कम माध्यमिक विद्यालय 15 छपरौली विकासखण्ड में है। ;सारिणी संख्या–1द्ध

सारिणी संख्या–1 से स्पष्ट है कि जनपद बागपत में स्नातक महाविद्यालयों की संख्या 09 है जिसमें 05 ग्रामीण क्षेत्र में व 04 नगरीय क्षेत्रा में स्थित है। बड़ौत विकासखण्ड को छोड़कर सभी विकासखण्डों में एक–एक स्नातक महाविद्यालय है। बड़ौत विकासखण्ड में स्नातकोत्तर महाविद्यालय की संख्या शून्य है। क्षेत्रा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय 03 केवल नगरीय क्षेत्रों में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र जनपद बागपत में औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 07 है। जिसमें 04 ग्रामीण क्षेत्र में व 03 नगरीय क्षेत्र में स्थित है।

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण शिक्षा व्यवसथा के सुधार के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में भी कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा बजट में 24 फासदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 52,057 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण इलाके में करोड़ों रुपये का प्रावधान किए है।साथ ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु उनका मानदेय दुगुना कर दिया गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा का भी ग्रामीण इलाके में प्रसार हो, इसके लिए भी चालू वित्तीय वर्ष में कई प्रावधान किए गए हैं।

हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के ज्यादातर लोग सुदूर ग्रामीण इलाके में ज्यादातर जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे रहते हैं। इस वजह से यह वर्ग स्कूली शिक्षा से वंचित है। इस वर्ग को ध्यान में रखकर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्ययोजना (पीओए) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की वर्तमान योजनाओं में कई प्रावधान किए गए हैं।

संक्षेप में कहा जाए तो भारत की तस्वीर आने वाले समय में कापफी बेहतर होगी। ग्रामीण इलाकों में जहाँ आधरभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है वहीं साक्षरता का ग्रापफ भी बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनमें से कम से कम आठवीं अथवा हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है। ऐसे में जब अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग न्यूनतम शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तो इन योजनाओं को उन्हें भी लाभ मिलेगा।[4]

अध्ययन क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं में विकासखण्डवार अध्ययन करने से स्पष्ट हुआ है कि क्षेत्र में 25 प्राथमिक विद्यालय, 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के पास भवन उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों अधिकतर विद्यालयों पर ब्लैक बोर्ड, विज्ञान उपकरण व गणित उपकरण उपलब्ध है जबकि स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पॉलिटैक्निक में ब्लैक बोर्ड नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र जनपद बागपत में वर्ष 2012–13 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 3366 है जिसमें सर्वाधिक शिक्षक 531 बड़ौत विकासखण्ड में जबकि सबसे कम 316 शिक्षक खेकड़ा विकासखण्ड में है। क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 1070 है जिसमें सर्वाधिक शिक्षक 121 पिलानाी विकासखण्ड में जबकि सबसे कम शिक्षक 115 बिनोली विकासखण्ड में है। क्षेत्रा में 2187 शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों में हैं। विकासखण्डवार सर्वाधिक शिक्षक 374 बिनौली विकासखण्ड में जबकि सबसे कम शिक्षक 133 छपरौली विकासखण्ड में हैं। क्षेत्र में 181 शिक्षक स्नातक महाविद्यालयों में, 40 शिक्षक स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में, 20 शिक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध हैं।[5] क्षेत्रा में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा स्नातक महाविद्यालय दृश्य श्रव्य सामग्री से उपलब्ध है।

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2012–13 में प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 173647 है। जिसमें 92721 बालक व 80916 बालिकायें हैं। क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2012–13 में 123019 विद्यार्थी हैं जिनमें 76423 बालक व 46596 बालिकायें हैं। क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2012–13 में 43062 बालक व 9157 बालिकायें हैं। जनपद बागपत में वर्ष 2013–13 में स्नातक विद्यार्थियों की कुल संख्या 3237 है। जिसमें 2359 छात्र व 878 छात्रायें हैं। क्षेत्रा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2012–13 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2263 है तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कुल छात्रा संख्या 306 है।[6]

जहाँ कहीं शिक्षा की चर्चा होती है तो सैद्धांतिक रूप से तीन बिन्दुओं की बात की जाती है– शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला अर्थात शिक्षक भी। यह तो रहा सैद्धांतिक सत्य किंतु प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी हो? इस विषय पर गंभीर चिंतन, मनन एवं मंथन की आवश्यकता है। समय–समय पर इसके नामपर भारी भरकम ध्नराशि व्यय करके गोष्ठियाँ आयोजित की जाती है और उनके प्रचार–प्रसार में भी अपार धनराशि व्यय की जाती है। किन्तु अभी तक कोई तर्कसंगत नीति निर्धारित नहीं हो पायी है।

प्रायः तीन तरह की बातें देखने–सुनने को मिलती हैं। प्रथम कि अध्यापकों की संख्या कक्षाओं की संख्या के अनुरूप होनी चाहिए, द्वितीय कि प्रति चालीस छात्रों पर एक अध्यापक और तृतीय कि प्रति पच्चीस छात्रों पर एक अध्यापक नियुक्त होना चाहिए। सैद्धान्तिक रूप से ही इस मामले में सार्वभौमिकता का नितांत अभाव है। व्यवहारिक रूप मे तो स्थिति नितांत शोचनीय व दयनीय है। नीति निर्धरण में साम्य का बिल्कुल ही लोप हुआ प्रतीत होता है।

जनपद बागपत में प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1996–97 में प्रतिशिक्षक छात्रा संख्या 43 थी। क्षेत्रा में 2012–13 में शिक्षक छात्र अनुपात में वृद्धि देखने को मिलती है। क्षेत्रा में वर्ष 2012–13 में प्रति शिक्षक छात्र संख्या 52 है। अध्ययन क्षेत्र जनपद बागपत में वर्ष 2012–13 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति शिक्षक छात्र संख्या 115 तथा माध्यमिक विद्यालयों में प्रति शिक्षक छात्र संख्या 24 है।

जनपद में विकासखण्डवार शिक्षक–छात्र अनुपात में विषमताएं देखने को मिलती हैं। क्षेत्र में शिक्षक–छात्र अनुपात में सर्वाधिक प्रति शिक्षक छात्र संख्या पिलाना विकासखण्ड में 79 तथा सबसे कम प्रति शिक्षक छात्र संख्या बड़ौत विकासखण्ड में 44 है। अन्य विकासखण्डों में छपरौली में 48, बागपत में 51, खेकड़ा में 68 तथा बिनौली विकासखण्ड में प्रति शिक्षक छात्रा संख्या 53 है। पुरुष वर्ग में जनपद में विकासखण्डवार शिक्षक–छात्र अनुपात सर्वाधिक खेकड़ा विकासखण्ड में प्रति शिक्षक छात्र संख्या 65 है जबकि सबसे कम प्रतिशिक्षक छात्र संख्या बड़ौत विकासखण्ड में 37 है। अन्य विकासखण्डों में छपरौली में 49, बागपत में 43, पिलाना में 64 तथा बिनौली विकासखण्ड में प्रति शिक्षक छात्रा संख्या 39 है।

महिला वर्ग में जनपद में विकासखण्डवार शिक्षक छात्र अनुपात सर्वाधिक पिलाना विकासखण्ड में प्रति शिक्षक छात्र 141 है जबकि सबसे कम प्रति शिक्षक छात्र 50 छपरौली विकासखण्ड में है। अन्य विकासखण्डों में बड़ौत में 71, बागपत में 73, खेकड़ा में 76 तथा बिनौली विकासखण्ड में प्रति शिक्षक छात्र संख्या 124 है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में छात्रों की संख्या अनुसार शिक्षकों की कमी परिलक्षित होती है।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् अन्य समस्याओं की भाँति हमारे विद्यालयों के समक्ष शिक्षा से सम्बन्धित समस्या थी। देश को पराधीनता से छुटकारा मिलने के बाद यह आवश्यक हो गया था कि शिक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया जाये। अतः मूल्यांकन के समय वे सभी समस्यायें उपस्थित हुई जिनके कारण देश अशिक्षित रहा। देश में नवीन शिक्षा–योजना का आरम्भ होने पर भी प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही और इसके मूल में शिक्षा कतिपय कारण थे। इन सभी स्थितियों पर विचार करने पर शिक्षा के क्षेत्र में समस्यायें आई और ये समस्यायें किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान हैं।

शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं से उबरने के लिये समाज तथा शिक्षा, दोनों को समायोजित होना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाज तथा शिक्षा, दोनों का ढांचा चरमरा जायेगा। इन समस्याओं का सामना करने के लिये राष्ट्रीय जीवन पृथक घरेलू जीवन के साध्नों को अपनाना पड़ेगा।

देश मे अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिये हैं। यद्यपि संविधान की धरा 45 का घोष बार–बार किया जाता है, किन्तु आज तक अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य न बन सकी। इसमें कई कारण हैं– पहली बात है देश तथा जनता, दोनों की निर्धनता की सीमा रेखा से बहुत नीचे जा रहे है। देश की सरकार के पास साध्न नहीं है और जनता के पास ध्न नही है। हमारा आर्थिक ढांचा कुछ इस प्रकार का रहा है कि ध्नवान और अधिक धनवान होते गए और निर्धन, निर्धनतर हो गए। विद्यालयों में छात्रों के लिये शैक्षिक साधन नहीं है। विद्यालयों के सामने अनेक समस्यायें हैं लेकिन उन समस्याओं के समाधन के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही हैं। देश में जितनी समस्या शिक्षा के क्षेत्र में उतनी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं में प्रमुखतः प्रयोगात्मक शिक्षा की समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या, मूल्यांकन एवं परीक्षा की समस्या एवं भाषा की समस्या है।

शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं में प्रयोगात्मक शिक्षा की समस्या जिसमें सरकार द्वारा आये दिन स्कूलों, कालेजों की सम्बद्धता दी जा रही है लेकिन उन स्कूलों, कॉलेजों में सुविधाओं का अभाव होने पर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बहुत से स्कूलों, कॉलेजों में प्रयोगशालाओं का अभाव है जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। एक चीनी कहावे के अनुसार–मैं जो सुनता हूँ, मैं उसे भूल सकता हूँ। मैं जो देखता हूँ, मुझे याद रह सकता है। मैं जो कार्य करता हूँ, मैं उसे भूल नहीं सकता।ৼ इसका प्रमुख कारण अपनी आंखों से देखी वस्तु पर पूर्ण विश्वास है। दूसरे कार्य स्वयं करने से विश्वास ही नहीं बल्कि, रुचि उत्साह, नेतृत्व का भी विकास होता है अर्थात जो कार्य हम प्रयोगों के द्वारा सीख लेते हैं वह बिना प्रयोग के कम सीख पाते हैं। अनेकों शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि प्रयोग करके आसानी से सीख सकते हैं।

बागपत जनपद के विद्यालयों में भी प्रयोगशालाओं का अभाव है जिसके कारण छात्र कम सीख पाते हैं। विद्यालयों में प्रयोगों द्वारा सीखने के लिए यदि बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा तो इससे बच्चे अध्कि सीखेंगे और शिक्षा का स्तर उपर उठता चला जायेगा।

शिक्षा से सम्बन्ध्ति समस्याओं में दूसरी शिक्षा पाठ्यक्रम की समस्या है जिसमें उन सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें अध्यापक तथा छात्र एक साथ मिलकर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजित करते हैं। यह एक प्रकार की रूपरेखा या नियोजन है। जिसका लक्ष्य अधिगत जनित करना है। शिक्षा क्रिया में शिक्षक तथा छात्र विषयवस्तु के सन्दर्भ में अर्न्तक्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों पर मुख्य रूप से आधरित होता है। इसीलिए किसी भी स्तर की शिक्षा के पाठ्य क्रम का उस स्तर के लिए निर्धरित उद्देश्यों के अनुरूप होना आवश्यक है परन्तु खेद का विषय है कि शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रहा है। शिक्षा का पाठ्यक्रम वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गया है। यह बालकों के सर्वांगीण विकास करने में पूर्णतः असफल रहा है। यह संकीर्ण नीरस, अरूचिकर, अनुपयोगी, कठोर तथा अव्यवहारिक प्रतीत होता है। वास्तव में स्तर का पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित अनुभव केन्द्रित तथा क्रियाकेन्द्रित होना चाहिए। हमारे विद्यालयों में व्यवस्थित पाठ्यक्रम का अभाव है। यह पाठ्यक्रम कहीं तो इतना कम है कि अध्यापक और बालक दोनों खाली रहते हैं और कहीं पर विद्यार्थी पर किताबों का बोझ लाद दिया जाता है। पाठ्यक्रम को आकर्षित बनाने के लिए हमें देश की आवश्यकताओं को देखना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम बच्चे को लिखना–पढ़ना तो बता सकता है। उसमें राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने वाले गुणों का विकास नहीं कर पाता। यह पाठ्यक्रम न तो शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और न ही गाँव की। कोठारी कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि विद्यालयों में छात्रों पर विषयों का बोझ न लादा जाय। केवल भाषा, गणित तथा वातावरण का ज्ञान कराने वाले विषय पढ़ाये जाए। इस स्तर पर एक भाषा पढ़ाई जाये जो या तो क्षेत्रीय हो अथवा मातृभाषा हो। गणित में रोमन अंकों का ज्ञान, चार्ट, नक्शों आदि के उपयोग की आरम्भिक विधि बतलाई जाये, कार्य अनुभव को आरम्भ से ही स्थान मिलना चाहिए। जिससे बालक में श्रम करने की आदत पड़े और उसमें भावना ग्रन्थियाँ उत्पन्न हो। आयोग ने कहा है–आजकल दुनिया में सब जगह पाठ्यक्रम बड़ी अनिश्चित अवस्था में है। स्कूल पाठ्यक्रम को उठाने के लिए अनेक कदम उठाने होंगेऋ जैसे–(1) पाठ्यक्रम में अनुसंधन, (2) पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण साध्न तैयार करना, (3) शिक्षकों की अन्तः सेवा शिक्षा।

शिक्षा से सम्बन्धित तीसरी प्रमुख समस्या मूल्यांकन एवं परीक्षा की समस्या है। परीक्षा का अर्थ—फ्चारों ओर अच्छी प्रकार देखना। किसी आंतरिक अधिकारी अथवा बाह्य संस्था द्वारा छात्रों के ज्ञान, उनकी सामान्य क्षमता तथा किसी योग्यता को नापने परखने के लिए किया गया सुव्यवस्थित प्रबन्ध परीक्षा है। वास्तव में यह शिक्षण एवं परीक्षण साथ—साथ चलने वाली प्रक्रियायें हैं। विस्तृत अर्थ में जीवन की एक परीक्षा है। परीक्षा के बिना यह मालूम नहीं हो सकता कि शिक्षण ठीक दिशा में चल रहा है या नहीं।

परन्तु वर्तमान परीक्षा प्रणाली की बहुत आलोचना होने लगी है। परीक्षा को एक भूत माना जाता है। कुछ इसे बला कहते हैं। राध कृष्णन कमीशन के शब्दों में—फ्गत आधी शताब्दी तक परीक्षा पद्धति को भारतीय शिक्षा का निकृष्ट रूप समझा जाता रहा है। रायबर्न के अनुसार— फ्यह बिना किसी सन्दर्भ के कहा जा सकता है कि परीक्षाऐं रचनात्मक कार्य की दुश्मन हैं, विशेषतः जिस रूप में वो ली जाती है।

शिक्षा से सम्बन्धित चौथी प्रमुख समस्या भाषा की समस्या है। चक्रवर्ती रामगोपालाचारी ने कहा है—यदि भारतीय लोग राजनीति, व्यापार या कला में एक रहना चाहते हैं तो हिन्दी ही वह भाषा है, जो समस्त भारतीय का ध्यान आकर्षित कर सकती है, चाहे वे लोग अपने प्रदेश में कोई भी भाषा बोलते हो। निष्कर्ष यह है कि हिन्दी का गम्भीर ज्ञान प्राप्त करना भारत के सभी लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।ऍ इस कथन से यह स्पष्ट है कि आज भाषा समस्या पर जिस ढंग से विचार हो रहा है, वह बौद्धिक, सामाजिक न होकर, राजनैतिक अधिक है। आज भाषा की समस्या, शिक्षण के क्षेत्र में राजनीति को ले बाई है। इसका परिणाम यह है कि आज हमारी राष्ट्रीय एकता को धक्का लग रहा है। राष्ट्र चेतना विलुप्त होती जा रही है।

भारत वर्ष विभिन्न संस्कृतियों, आचार—विचार और भाषाओं का देश है। समस्त देश में विभिन्न भाषाओं को बोलने वालों की संख्या ने शिक्षा के माध्यम के रूप में एवं ज्वलन्त समस्या प्रस्तुत की है। देश की इस विषम स्थिति ने संविधन के द्वारा चौदह (14) भाषाओं को मान्यता देने के पश्चात् भी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं किया। इसके मूल में अंग्रेजी शासन की दासता के संस्कार भी है। इनका अन्दाज लार्ड मैकाले के इस कथन से होता है—यूरोपीय (साहित्य) पुस्तकालय की अलमारी के एक खाने में जितनी पुस्तकें आ सकती हैं, उनका मूल्य अरब तथा भारत के समस्त साहित्य से सर्वाधिक है। अतः भारत में यूरोपीय संस्कृति का प्रचार अंग्रेजी के माध्यम से होना चाहिए, जिससे भारतीय वेशभूषा तथा शरीर में मौलिक होते हुए भौतिक रूप से विदेशी हों।

आज लार्ड मैकाले का यह कथन पूर्ण रूप से सबल है, क्योकि मातृ—भाषा को शिक्षा का माध्यम मानने के साथ—साथ बालक को जबरत अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है और उसका आधर है नौकरी पाना। अंग्रेजी पढ़ें भारतीयों की सभ्यता में कमी रह जाती है।

सुझाव

वर्तमान में सबसे ज्वलन्त समस्या यही है कि शिक्षा का उन्नयन तथा गुणात्मक विकास कैसे किया जाए? इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव उपेक्षित हैं—

1. औपचारिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयों का परिवेश ऐसे निर्मित करना होगा जिससे विद्यार्थी स्कूल में अच्छा महसूस करें। शिक्षकों को अपने क्रूर व्यवहारों पर अंकुश लगाना होगा। दंड के तरीके बदलने होंगे।
2. जो विद्याथी औपचारिक स्कूलों में न जाने की स्थिति में हो उनकी पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। सायंकालीन, रात्रिकालीन तथा अवकाशकालीन विद्यालय इसमें सहायक हो सकते हैं।
3. सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयत्नों के साथ—साथ यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि स्वैच्छिक संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं आदि इन प्रयासों में सक्रिय सहयोग दें।
4. प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों ही प्रकार की वृद्धि की जायें।
5. शिक्षा के माध्यम से रूप में मातृ भाषा को स्वीकार किया जाये।
6. पाठ्यक्रम का सम्बन्ध स्थानीय वातावरण से होना चाहिये, अतः ग्रामीण व शहरी पाठ्यक्रम में अन्तर रखना चाहिये।
7. पाठ्यक्रम में कृषि, शारीरिक व्यायाम आदि को भी रखा जाये।

आशा है कि उक्त सुझावों से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का सिलसिला मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप में उत्तरोत्तर निखरेगा एवं शिक्षा को सही दिशा मिलेगी।

सन्दर्भ

1. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बागपत, 2013, तालिका–1.
2. सेंसस ऑफ इंडिया, 2011 एवं डिस्ट्रिक्ट बागपत ऑफ उत्तर प्रदेश सेंसस, 2011.
3. सेंसस ऑफ इंडिया, 2011 एवं डिस्ट्रिक्ट बागपत ऑफ उत्तर प्रदेश सेंसस, 2011.
4. सम्पादकीय कुरूक्षेत्र, मई–2011.
5. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बागपत, 2013, तालिका–41 से संकलित आंकड़े।
6. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बागपत, 2013, तालिका–39 से संकलित आंकड़े।